

12/7/13

पत्रावली का आवलोकन किया गया। पत्रावली-प्रणाली का पक्ष सुना गया। पत्रावली के गहरापी से आवलोकन पदाकाशन के क्लम एवं राजस्व रिपोर्ट से मापालय स्पष्ट है कि उक्त द्वारा जी वर्तमान राजस्व रिपोर्ट में विक्रयचक्र दर्जा है। तथा 9 की कार्यवाही की जात केवल की कार्यवाही की जा चुकी है। यतः सुवैधा का संतुलन, प्रथम दृष्ट्या मापला एवं अपूर्णप्रकृति पत्रावली के पक्ष में रूखिड नहीं होते। यतः ~~समाप्त~~ प्रणाली पत्र पत्रावली अस्वीकार किया जाकर खारेज किया जाता है। पत्रावली केसल शुमार होने पर मापालय के तहत से कम है।



(डॉ. दिनेशराय सापेला)
उपसह अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
टांडगाव, अजमेर